

आदेश की क्रम सं०
और तारीख
1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
2

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित
3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No.- 43 of 2016

Dist.:-Vaishali

**PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.**

Raj Bali Das - Petitioner/ Appellant
Versus
The State of Bihar. - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Petitioner : Sri Arun Kumar, Advocate.
For the OP :

ORDER

07.09.2018

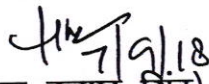
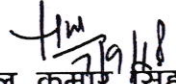
प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद जिला पदाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली) के आदेश ज्ञापांक- 15 (मु0) दिनांक- 20.05.2014 द्वारा अधिरोपित दंड के विरुद्ध दायर किया गया है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, हाजीपुर के पत्रांक- 485 दिनांक- 02.02.2011 द्वारा श्री राजबली दास, पंचायत सचिव को दिनांक- 20.01.2011 को निगरानी धावा दल द्वारा गिरफ्तार किये जाने की सूचना प्राप्त होने के उपरांत इस कार्यालय आदेश ज्ञापांक- 137 दिनांक- 19.02.2011 से श्री राजबली दास, पंचायत सचिव को निलंबित करते हुए मुख्यालय पातेपुर प्रखंड कार्यालय में निर्धारित किया गया। जमानत पर जेल से छुटने के पश्चात् दिनांक- 08.06.2011 को इन्होंने अपने निर्धारित मुख्यालय में योगदान दिया। जेल से रिहा होने के कारण आदेश ज्ञापांक- 907 दिनांक- 26.08.2011 से श्री दास को निलंबन से मुक्त करते हुए हाजीपुर प्रखंड में पदस्थापित किया गया। पुनः इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक- 8(मु0) दिनांक- 20.01.2014 को इन पर अपराधिक आरोप गंभीर प्रकृति का रहने के कारण सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(1)(ग) के तहत निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय हाजीपुर निर्धारित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर के पत्रांक- 50 दिनांक- 17.01.2014 से प्राप्त आरोप पत्र प्रपत्र-

44
7/6/11

श की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	“क” के आधार पर संशोधित प्रपत्र- “क” तैयार करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर को संचालन पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी हाजीपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए आदेश ज्ञापांक- 8(मु0) दिनांक- 20.01.14 से विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गयी। संचालन पदाधिकारी -सह- अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के पश्चात् अपने मंतव्य सहित अभिलेख कार्यालय पत्रांक- 9(मु0) दिनांक- 07.03.2014 से वापस किया गया। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप सत्य एवं प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन, द्वितीय कारण पृच्छा, आरोपी के बयान के आलोक में श्री राजबली दास को सेवा से बर्खास्त किया गया। श्री दास के विरुद्ध श्री योगेन्द्र राय, पिता- तुफानी राय, ग्राम- शुभई दक्षिण पो0- शुभई जिला- वैशाली द्वारा पुलिस अधीक्षक -सह- थाना अध्यक्ष निगरानी थाना के दिये गये आवेदन में लिखा गया कि अपने संबंधी पार्वती देवी पति- स्व0 धुरखेली राय एवं अन्य बारह आवेदन पत्र जो वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित था, को प्रखंड कार्यालय में अग्रसारित/ अनुशंसित करने हेतु पंचायत सचिव श्री दास के द्वारा मो0- 2400/- रुपये की मांग की जा रही है। निगरानी विभाग के धावा दल द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप दिनांक- 20.01.2011 को श्री राजबली दास पंचायत सचिव को 2400/- (चौबीस सौ) रुपया रिश्वत् लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। श्री दास द्वारा आवेदन पत्रों के अग्रसारण/अनुशंसा हेतु मो0-2400/- रुपये की माँग किया जाना सरकारी सेवक के अनुमान्य आचरण के प्रतिकूल है। इस संबंध में इन पर निगरानी थाना कांड सं0- 04/2011 दर्ज है। संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन में उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित पाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सारे आरोपों का प्रतिकार किया गया। उन्होंने बताया कि श्री दास को आवास पर रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया ही नहीं गया था बल्कि साजिश के तहत उन्हें बुलाकर ले गये एवं सारी कागजी प्रक्रिया जिसमें उनके विरुद्ध आवेदन पत्र देने, सत्यापन प्रतिवेदन तैयार	

44
7/9/18

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	करने Pre-trap memorandum, Post Trap एवं व्यक्ति सूची बनाने की कार्रवाई होटल में की गई। उनके विरुद्ध किसी के द्वारा भी बयान नहीं दिया गया। परन्तु आरोपी द्वारा अपने बचाव में की उन्होंने रिश्वत नहीं लिया या उन्हें साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया का कोई साक्ष्य/सबूत नहीं प्रस्तुत किया गया। साथ ही आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कई न्यायादेशों की प्रति भी उपलब्ध करायी गयी। वैसे भी आरोपित दिनांक- 20.01.2011 को निगरानी धावा दल द्वारा 2400/- रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। ये पैसा घुस का था अथवा नहीं इसके लिए निगरानी विशेष न्यायालय में ट्रायल लंबित है, परन्तु रुपये के साथ गिरफ्तार किया जाना ही अपने आप में सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है। अभिलेख के परीक्षण से स्पष्ट है कि पूरे विभागीय कार्यवाही के दौरान उपस्थापन पदाधिकारी कभी भी संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। सुनवाई के दौरान इस बात की पुष्टि जिला पंचायती राज पदाधिकारी, वैशाली द्वारा भी की गई। सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उपस्थापन पदाधिकारी का विभागीय कार्यवाही में कभी भी उपस्थित नहीं होना विहित प्रक्रिया एवं नियम के प्रतिकूल है। अतः न्यायहित में इस वाद को जिला पदाधिकारी, वैशाली को Remand किया जाता है कि वे विहित प्रक्रिया एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए Fresh order पारित करें। लेखापित एवं संशोधित  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।	